



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

PRO (R) 1231

दिनांक 5-8-22

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2022/डी-1520


आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु दस्तावेज	प्रस्तुत
1	सर्वश्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता, विनोद गुप्ता एवं धर्मचन्द्र गुप्ता	श्रीमती बिदामी देवी पत्नी स्व. श्री राधेश्याम विजयवर्गीय	59	173.33 व.ग.	सैन कॉलोनी गु.नि.स.स.	राधा गोविन्द कॉलोनी	नाम हस्तान्तरण एवं फ्री होल्ड पट्टा	मृत्यु प्रमाण-पत्र, रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र शपथ पत्र आदि	

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-0141-2574768 (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषय—आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	कर्नल पुनित दत्ता	लोट्स प्राईम एस्टेट प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री महेश कुमार जैन	बी-55	निजी खातेदारी	लोट्स विला	लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड	नाम हस्तान्तरण पत्र, मूल दस्तावेज गुम होने की एफ.आई. आर, पंजीयन कार्यालय से दस्तावेज की प्रमाणित प्रति।

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जविप्रा/जोन-9/2022/ क्रमांक:/डी- 4978
दिनांक 4978

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा जयपुर
उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषय:- आम सूचना प्रकाशन कराये जाने बाबत।

क्र.स	आवेदक का नाम	समिति का नाम	खसरा नम्बर	ग्राम का नाम	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया है।	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	विकास समिति	जल महल गृ.नि.स.स.	349, 358, 359, 360, 361, 362 व 378	खोखावास तह. सांगानेर	विवेक विहार (सुन्दरम कॉलोनी)	90ए	सुओमोटो 90ए की विज्ञप्ति
2.	विकास समिति	जल महल गृ.नि.स.स.	367, 371 व 374	जगतपुरा तह. सांगानेर	जगन विहार	90ए	सुओमोटो 90ए की विज्ञप्ति

संलग्न:-लोक सूचना की प्रति।

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

उपायुक्त जोन-09
जयपुर जयपुर-9
उपायुक्त जयपुर-9
जयपुर, जयपुर

यू.ओ.नोट क्रमांक : ज.वि.प्रा./उपा./जोन-09/22/डी-4982 दिनांक : 6/18/2022

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {8320}; फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : {abusufiyan.ras@gmail.com}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा/उपा./जोन-4/2022/डी-1735

दिनांक. 6/8/22

विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	गृ. नि. स. स.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु दस्तावेज	प्रस्तुत
1	पुराना 366-बी (नया 402)	न्यू पिकसिटी	सिद्धार्थ नगर-सी	श्री महेन्द्रपाल सिंह पुत्र स्व. श्री क्षेत्रपाल सिंह	श्रीमती मंजु माथुर पत्नी श्री सुनील माथुर	आवंटन पत्र दि: 16.11.1987 समिति द्वारा आवंटन पीछे के पृष्ठ पर श्री महेन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री क्षेत्रपाल सिंह के नाम पुनः आवंटन दि: 21.11.1995 की मोहर लगी हुई हैं एवं न्यू पिकसिटी गृ. नि. स. स. से प्राप्त जारी पत्र दि: 19.10.2020 नया-पुराना के संबंध में समिति द्वारा कोई आपत्ति नहीं आदि प्रस्तुत किये गये हैं।	

✓ PRO, JDA

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।
उपायुक्त जोन-4
ज.वि.प्रा., जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर- 302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - 91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई मेल

dc.zone04@jaipurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

WWW.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा/उपा./जोन-4/2022/डी-1727

दिनांक: 5-08-2022

विज्ञप्ति

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	गृ. नि. स. स.	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	100	न्यू पिकसिटी	सिद्धार्थ नगर-सी	श्रीमती रेखा शर्मा पत्नी श्री ए.के. शर्मा	श्री अर्जुनराम शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दि: 15.06.2009 आवंटन पत्र दि: 17.02.1986 अपंजीकृत इकरारनामा दि: 25.03.1996 आदि।
2	99	न्यू पिकसिटी	सिद्धार्थ नगर-सी	श्रीमती रेखा शर्मा पत्नी श्री ए.के. शर्मा	श्रीमती चित्र लेखा पत्नी श्री दया शंकर	आवंटन पत्र दि: 08.10.1981 डॉ चित्रलेखा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दि: 28.02.2007 अपंजीकृत इकरारनामा दि: 28.01.2002 आदि।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-


- जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें, साथ ही सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावें।
- सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक: 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर- 302004

दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीबीएक्स - 91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई मेल

dc.zone04@jaipurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./ जोन-4/2022/डी-1728


दिनांक 5-08-2022

विज्ञप्ति / सूचना

आवेदकगण द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड का लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड पट्टा/नाम हस्तान्तरण/लीजहोल्ड पट्टा जारी करने हेतु ऑनलाईन एवं ऑफलाईन आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/ हितकारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड पट्टा/नाम हस्तान्तरण/लीजहोल्ड पट्टा जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	समिति एवं योजना का नाम	आवेदक/आवेदिका का नाम	मूल आवंटनधारी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	31	न्यू पिकसिटी गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना ग्रीन नगर	श्री हरदयाल शर्मा पुत्र श्री गोविन्द नारायण शर्मा	श्रीमती प्रकाशवती शर्मा पत्नी श्री गोविन्द नारायण शर्मा	सोसायटी का आवंटन पत्र, साईट प्लान एवं रसीद की फोटोप्रति भू-आवंटन पत्र, साईट प्लान, पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 19.01.2022, पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 10.03.2006, पंजीकृत हक त्याग दिनांक 20.12.2007, पंजीकृत हक त्याग दिनांक 28.12.2007 के आधार पर।
2	30	शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना संगम कॉलोनी	श्री मूल चन्द शर्मा पुत्र श्री भौरी लाल शर्मा	श्री रामचन्द्र कारपेन्टर पुत्र श्री दौलतराम कारपेन्टर	समिति द्वारा जारी आवंटन पत्र, रसीद की मूल प्रति, साईट प्लान गुम हो जाने के संबंध में राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित खोया-पाया की सूचना एवं स्टेशन हाउस ऑफिसर, साईबर क्राइम पुलिस स्टेशन, राजस्थान, जयपुर में ऑनलाईन गुमशुदगी रिपोर्ट दिनांक 24.06.2022 के आधार पर
3	142	नवजीवन गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना मुक्तानन्द नगर	श्रीमती निर्मल कंवर पत्नी श्री विरेन्द्र कंवर	श्री हरि सिंह पुत्र श्री सुर्जन सिंह	पट्टा, मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत वसीयतनामा, अपंजीकृत वसीयतनामा, पंजीकृत उपहार पत्र,

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीवीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org




जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

4	57	जविप्रा की पुर्नवासित योजना सवाई गेटोर	श्रीमती सीमा मीणा पत्नी स्व. श्री मोहन लाल मीणा	श्री मोहन लाल मीणा पुत्र श्री घासीराम मीणा	पंजीकृत पटटा, मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 13.07.2022
5	23	टैगोर नगर गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना जादौन नगर-बी	श्री मनोज कुमार अग्रवाल पुत्र श्री छीतरमल अग्रवाल	श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री रामरतन	पंजीकृत पटटा, पंजीकृत मुख्यत्यारनामा आम दिनांक 27.12.2012, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 04.12.2013, एवं नाम हस्तान्तरण आवेदक से मूल पटटा व मुख्यत्यारआम गुम हो चुके है, जिसके संबंध में आम सूचना का अखबार में प्रकाशन, पुलिस थानाधिकारी थाना चौमू में दिनांक 07.12.13 को गुमशुदगी रिपोर्ट के आधार पर
6	ई-36	गोकुल वाटिका गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना गोकुल वाटिका	श्रीमती निर्मला देवी रामरखानी पत्नी श्री महादेव मल, श्रीमती लक्ष्मी रामलखानी पत्नी श्री चन्द्र प्रकाश एवं श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री महादेव मल	श्री हर्षित जैन पुत्र श्री जिनेन्द्र कुमार जैन	पंजीकृत पटटा, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 12.07.2019, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.03.2022, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.03.2022, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.03.2022
7	ई-28-ए	गोकुल वाटिका गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना गोकुल वाटिका	श्री सुनिल रामरखानी पुत्र श्री महादेव मल एवं श्रीमती कीर्ति रामरखानी पत्नी श्री सुनिल रामरखानी	डॉ. धर्मेन्द्र कांकरिया पुत्र श्री फूलचन्द कांकरिया	पंजीकृत पटटा, मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 16.04.2014, पंजीकृत पावर ऑफ अटोनी दिनांक 17.04.2014, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.04.2014, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.09.2017, उपविभाजन पत्र कमांक डी-1961 दिनांक 06.207.015
8	ई-28	गोकुल वाटिका गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना	श्री उमेश रामरखानी पुत्र श्री महादेव मल एवं श्रीमती पूजा रामरखानी पत्नी श्री उमेश रामरखानी	डॉ. धर्मेन्द्र कांकरिया पुत्र श्री फूलचन्द कांकरिया	पंजीकृत पटटा, मृत्यु प्रमाण पत्र, पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 16.04.2014, पंजीकृत पावर ऑफ अटोनी दिनांक 17.04.2014, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 30.04.2014, नाम हस्तान्तरण पत्र कमांक डी-3349 दिनांक 22.10

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीवीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर, 302004



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

	गोकुल वाटिका			14, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 14.04.2015, पंजीकृत विक्रय पत्र 11.09.2017
--	-----------------	--	--	---

sd

उपायुक्त जोन-4
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपी:-

1. जन सम्पर्क, अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करवाते हुये प्रकाशन की एक प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध करवाने का श्रम करावे।
2. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त विज्ञप्ति को जविप्रा की वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करे।

उपायुक्त जोन - 4
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष - 0141-2574798 : ईपीवीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : 8240: ई-मेल : dc.zone04@jaipurjda.org



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2022/डी- २२८३

दिनांक:- १/१/२२

विज्ञप्ति

जविप्रा, जयपुर की योजना झालाना फेज-1A के भूखण्ड संख्या-154 का पट्टा श्री बाबूलाल पुत्र श्री हीरालाल को जारी किया गया था। श्री बाबूलाल पुत्र श्री हीरालाल मृत्यु दिनांक 20.12.2016 को मृत्यु प्रमाण पत्र में अंकित है। (1) श्रीमती पुष्पा देवी स्व: श्री बाबूलाल (2) श्रीमती शोभा पत्नी स्व: श्री वीरू सिंह उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण पत्र जारी करने हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है।

उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/ फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी-एसएफ-202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार नामहस्तान्तरण पत्र जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी-

दिनांक

—:सार्वजनिक सूचना:—

जविप्रा द्वारा अनुमोदित निजी खातेदारी की योजना खुशी सिटी बी ब्लॉक के भूखण्ड संख्या एल/2 का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	योजना का नाम	आवंटी का नाम	प्रथम से विक्रय संबंधित अन/रजिस्टर्ड दस्तावेजों की चैन का विवरण	अंतिम आवंटी पट्टा धारक का नाम
1	एल/2	74.31	खुशी सिटी बी ब्लॉक	श्रीमति संगीता देवी पत्नि श्री राजवीर सिंह	जविप्रा द्वारा दिनांक 30.3.16 को श्रीमति संगीता देवी पत्नि श्री राजवीर सिंह के नाम से लीजडीड जारी की गई। आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार श्रीमति संगीता देवी पत्नि श्री राजवीर सिंह के द्वारा अनरजिस्टर्ड इकरारनामा के आधार पर दिनांक 26.11.2016 को श्री रामराज शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा को बेचान कर दिया गया।	श्री रामराज शर्मा पुत्र स्व. श्री राधेश्याम शर्मा निवासी 3407 जय लाल मुंशी का रास्ता, चाँदपोल बाजार, जयपुर।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत अनरजिस्टर्ड इकरारनामा पत्र के आधार पर नाम हस्तान्तरण/फ्री होल्ड लीजडीड जारी करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12
जविप्रा, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
क्रमांक जविप्रा/जोन-12/2022/डी- 2198

दिनांक 05/08/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - {+91-141-2574798} : EP/BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:— जविप्रा / उपा. पी.आर.एन. (दक्षिण-द्वितीय) / 2022 / डी- 3622

दिनांक:— 48-2022

—सूचना:—

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	मुखण्ड संख्या	मुखण्ड क्षेत्रफल	गु.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	कानाराम	बृजबाला गुप्ता	72	270.2	हथरोई गढी गु.नि.स.स.	गणपति एनक्लेव	लीजडीड	अपंजीकृत ईकरारनामा

सपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:—

- 1 उप निदेशक, (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन कराने का श्रम करें।
- 2 को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भिजवा दिया गया है।

सपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष - (+91-141-सम्बन्धित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (सम्बन्धित कार्यालय); फ़ैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बन्धित अधिकारी का ईमेल)

N.P.-V.L.

PRO (R) 1244
818122

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।
 क्रमांक:-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(द्वितीय)/2022/डी-1154
 -सार्वजनिक सूचना:-

दिनांक:-

5/8/22

निम्न भूखण्डधारियों ने नियमन/भू-आवंटन हेतु पृथ्वीराज नगर (उत्तर-द्वितीय), जविप्रा में आवेदन प्रस्तुत किये हैं। जो लीजडीड/प्रतिस्थापन हेतु कार्यालय को प्राप्त हुये हैं:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम/पिता/पति का नाम	भू.सं.	क्षेत्रफल (व.ग.)
1	मूलचन्द बंसल/सुरजमल बंसल (भैरव गृह निर्माण सं0स0लि0की योजना-अलंकार विहार)	35	194
2	संजू डबराल/देवेन्द्र प्रसाद (श्री महावीर स्वामी गु.नि.स.स.लि.की योजना-अरिहन्त वाटिका)	84 साउथ पार्ट	101.5
3	पुरुषोत्तम शर्मा/मदन लाल शर्मा (श्री महावीर स्वामी गु.नि.स.स.लि.की योजना-अरिहन्त वाटिका)	84 नार्थ पार्ट	101.5
4	जी.जी. सुनील मैथ्यू/सुनील मैथ्यू (ओम शिव गु.नि.स.स.लि.की योजना-हीरानगर विस्तार)	45	183.33
5	रेखाराम चौधरी/सत्यनारायण चौधरी (सूरजपोल गेट गु.वि.स.स.लि.की योजना-समता नगर)	35	223.33
6	रामकुमार/सुककीराम (दी शिवा को-आप.हा.सो.लि.की योजना-अयोध्या नगर)	डी-24	177.77
7	जेठमल अग्रवाल/रामस्वरूप अग्रवाल (अपोलो नगर को-आप.हा.सो.लि.की योजना-जगदम्बा नगर-सी)	सी-47	200

यदि उक्त भूखण्डों के स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी को आपत्ति हो तो 07 दिवस की अवधि में कार्यालय को आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आवेदकों के पक्ष में उक्त भूखण्डों की लीजडीड/प्रतिस्थापन कर दिया जायेगा।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-II

जयपुर विकास प्राधिकरण

पीआरएन (उत्तर-II)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि:-

जनसम्पर्क अशिमारी, जविप्रा जयपुर को भेजकर सूचित किया जाता है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राजस्थान पत्रिका/दैनिक भास्कर समाचार पत्र में 08 फॉन्ट साइज में प्रकाशित कराकर विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस पश्चात् मूल प्रति कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।

- 2- उक्त पत्रावली में नगरीय विकास के आदेश क्रमांक प.17(1)नविवि/अभियान/2021 दिनांक 14.03.2022 में विज्ञप्ति कार्यालय द्वारा प्रकाशन की कार्यवाही करवाया जाना प्रस्तावित है। सूचनार्थ

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर-II

जयपुर विकास प्राधिकरण



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक- जविप्रा/उपा./जोन-12/22/डी- 2195

दिनांक 5-8-2022

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क),
जविप्रा, जयपुर।

विषय:-योजना नियमन आपत्ति/सुझाव हेतु।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि योजना के नियमन की सार्वजनिक सूचना संलग्न प्रारूप अनुसार लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र में प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PR06(R)1242
8/8/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....११५.....

दिनांक.....०५-८-२०२२.....

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित गृह निर्माण सहकारी समिति की 90बी की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है, जिनका प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 में अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

भारत भवन गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना आनंद निकेतन

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (बीघा-बिस्वा)	वर्तमान स्वामित्व
नानूसर तहसील जयपुर	95	1 बिस्वा	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
	96	1 बीघा 9 बिस्वा	
	97	2 बीघा 17 बिस्वा	
	102	40 बीघा 8 बिस्वा	
	98	1 बीघा 6 बिस्वा	
	99	1 बिस्वा	
	100	2 बीघा 1 बिस्वा	
	101	1 बिस्वा	
	102	2 बीघा 3 बिस्वा	
	103	19 बिस्वा	

गणपति गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना निर्मल वाटिका

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर)	वर्तमान स्वामित्व
बैनाडमयदोलतपुरा तहसील आमेर	670	0.01	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
	675	0.97	
	671	0.89 में से 0.42	

उक्त योजनाओं के नियमन के संबंध में खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञापित प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार योजना के अनुमोदन की कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

नोटिस आज दिनांक.....०५-८-२०२२.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-12 जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर


क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी- 2206

दिनांक 05.08.2022

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
जविप्रा, जयपुर।

विषय :-90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए (सुओमोटो) की लोक सूचना सलग्न प्रारूप अनुसार 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।


उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

P.R.O (R) J.P. 12/21
8/8/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या...51...2206

दिनांक...05.08.2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण श्री कृष्णा विकास समिति की योजना कृष्णा विहार कालोनी के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृषि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुनर्ग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं सपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टे. मे)	स्वामित्व
हसमपुराबास भांकरोटा तहसील सांगानेर	81	0.24	धीरज पुत्र लादूराम हि. पूर्ण जाति जाट सा. देह खातेदार
	83	0.65	
	82	0.54	1. चन्दालाल पुत्र झूथाराम हि. 1/5 जाति जाट सा. देह खातेदार
	91	0.13	2. नाथूराम पुत्र झूथाराम हि. 1/5 जाति जाट सा. देह खातेदार
	92	0.38	3. भूराराम पुत्र झूथाराम हि. 1/5 जाति जाट सा. देह खातेदार
			4. मंगलचन्द पुत्र झूथाराम हि. 1/5 जाति जाट सा. देह खातेदार
			5. श्रवण लाल पुत्र झूथाराम हि. 1/5 जाति जाट सा. देह खातेदार
	85	0.34	1. कमला देवी पत्नि स्व. बाबूलाल हि. 1/9 जाति जाट सा. देह
	86	0.24	2. छीतर पुत्र जगन्नाथ हि. 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार
			3. दिनेश चौधरी पुत्र बाबूलाल हि. 1/9 जाति जाट सा. देह खातेदार
		4. रमेश पुत्र जगन्नाथ हि. 1/3 जाति जाट सा. देह खातेदार	
		5. राकेश चौधरी पुत्र बाबूलाल हि. 1/9 जाति जाट सा. देह खातेदार	
	88	0.04	1. जगदीशनारायण पुत्र लादूराम हि. 5/12 जाति बलाई सा. देह
			2. नारायण पुत्र मोहरीया हि. 1/6 जाति बलाई सा. देह
			3. रामकरण पुत्र रघुनाथ हि. 5/12 जाति बलाई सा. देह
	95	0.30	1. नाबालिग अजय पुत्र लल्लुलाल संरक्षक सरपरस्त श्रवणी पत्नि लल्लुलाल हि. 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार
			2. नाबालिग कचन पुत्री लल्लुलाल संरक्षक सरपरस्त श्रवणी पत्नि लल्लुलाल हि. 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार
			3. नाबालिग पूजा पुत्री लल्लुलाल संरक्षक सरपरस्त श्रवणी पत्नि लल्लुलाल हि. 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार
			4. श्रवणी पत्नि लल्लुलाल हि. 1/4 जाति जाट सा. देह खातेदार
	कुल कित्ता 10	2.8600	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/ अभियान/2021/म.म.जा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जयपुर स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुनर्ग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक...05.08.22 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-12 जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक- जविप्रा/उपा./जोन-12/22/डी- 2213

दिनांक 05.08.2022

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क),
जविप्रा, जयपुर।

विषय:-90ए की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण 90ए (सुओमोटो) की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना संलग्न प्रारूप अनुसार लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र में प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

P.R. (C) 740/240
8/8/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-क(8) के अन्तर्गत

संख्या.....2213

दिनांक 05.08.2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण **भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लि.** की योजना **गोकुलेश नगर** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।


उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	कय रकबा (हेक्टेयर)	स्वामित्व
ग्राम निवारु तहसील जयपुर	471	1.4038	0.7019	नानूराम पुत्र चौथ्या हिस्सा 1/2 माली सा. देह खातेदार।
कुल किता	1	1.4038	0.7019	

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.9.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञापित प्रकाशन के 15 दिवस में कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 05.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।


प्राधिकृत अधिकारी
जोन-12



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक- जविप्रा/उपा./जोन-12/22/डी- 2216


दिनांक 05-08, 2022

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क),
जविप्रा, जयपुर।

विषय:-90ए की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण 90ए (सुओमोटो) की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना संलग्न प्रारूप अनुसार लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र में प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

PRO (R) / 34 / 2239
8/8/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-क(8) के अन्तर्गत

संख्या... 2-2216

दिनांक... 05.08.22

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण बुनियादी विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना सर्वोदय एन्क्लेव के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं सपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	कय रकबा (हेक्टेयर)	स्वामित्व
ग्राम हाथोद तहसील जयपुर	514	4.0974	0.8195	पॉच पुत्र खांगा हिस्सा 1/5 जाति बलाई सा. देह खातेदार।
कुल किता	1	4.0974	0.8195	

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.9.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस में कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक... 05.08.2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी
जोन-12

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-12/2022/डी- 2222

दिनांक 05-8-2022

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)
जविप्रा, जयपुर।

विषय :-90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए (सुओमोटो) की लोक सूचना सलग्न प्रारूप अनुसार 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।


उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

PRO R 138 1238
8/8/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या... 5-2222

दिनांक... 05-08-2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना श्याम बिहार लालचन्दपुरा के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृष्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।


अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं सपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टे. मे)	स्वामित्व
लालचन्दपुरा	307	0.3288	नरेन्द्र कुमार यादव पुत्र लल्लूनारायण यादव हि. पूर्ण जाति अहीर यादव, सा.म.नं. 2793
तहसील जयपुर	308	0.3288	उनियारों रावजी का रास्ता, पुरानी बस्ती, जयपुर
	कुल किता 2	0.6576	

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/ अभियान/2021/म.म.झा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञापित प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक... 05-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-12 जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2022/डी-2254

दिनांक : 08-8-2022

सार्वजनिक सूचना

निजी खातेदारी की "यदुराज ऑक्सीजन एक्सर्स" का अनुमोदन के पश्चात् नियमन शिविर आयोजित किये जाने हेतु कार्यक्रम निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	कैम्प आयोजित दिनांक	कैम्प स्थल	खातेदार का नाम	ग्राम तहसील	योजना का नाम
1	20.08.2022	भांकरोटा योजना में स्थित पार्क में	श्री मोहन लाल, श्री राम निवास पुत्रान श्री लक्ष्मी नारायण एवम् श्री लाल चन्द एवं श्री सीताराम पुत्रान श्री जगदीशनारायण निवासी पृथ्वीसिंहपुरा उर्फ नाईवाला, जयपुर राज0 व श्री जगदीश नारायण उर्फ जगदीश प्रसाद शर्मा, श्री रामेश्वर लाल उर्फ रामेश्वर, श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री सुरजमल शर्मा पुत्रान् चुन्नीलाल, राकेश कुमार पुत्र रूप नारायण निवासी पृथ्वीसिंहपुरा उर्फ नाईवाला राजस्थान व श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रूप नारायण निवासी पृथ्वीसिंहपुरा उर्फ नाईवाला, जयपुर राज0 जरिये मुख्यारनामा-आम आर्यन लैण्डमार्क डवलपर्स एल.एल.पी. जरिये अधिकृत साझेदार श्री रामचंदर यादव व आर्यन लैण्डमार्क डवलपर्स एल.एल.पी. पंजीकृत कार्यालय 2सी, स्वरूप कॉलोनी, डी.सी.एम. अजमेर रोड़, जयपुर-302019 जरिये अधिकृत साझेदार श्री रामचंदर यादव आयु 45 वर्ष पुत्र श्री हरसहाय यादव जाति अहीर निवासी यादव फार्म हाउस रामचन्द्रपुरा अजमेर रोड़, जयपुर RERA Registration NO. RAJ/P/2022/2070	ग्राम पृथ्वीसिंहपुरा उर्फ नाईवाला तहसील सांगानेर	"यदुराज ऑक्सीजन एक्सर्स"

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि :-

- जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को उक्त प्रोग्राम का समाचार पत्र में प्रकाशन कराने हेतु प्रेषित है।
- श्री मोहन लाल, श्री राम निवास पुत्रान श्री लक्ष्मी नारायण एवम् श्री लाल चन्द एवं श्री सीताराम पुत्रान श्री जगदीशनारायण निवासी पृथ्वीसिंहपुरा उर्फ नाईवाला, जयपुर राज0 व श्री जगदीश नारायण उर्फ जगदीश प्रसाद शर्मा, श्री रामेश्वर लाल उर्फ रामेश्वर, श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री सुरजमल शर्मा पुत्रान् चुन्नीलाल, राकेश कुमार पुत्र रूप नारायण निवासी पृथ्वीसिंहपुरा उर्फ नाईवाला राजस्थान व श्री राकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री रूप नारायण निवासी पृथ्वीसिंहपुरा उर्फ नाईवाला, जयपुर राज0 जरिये मुख्यारनामा-आम आर्यन लैण्डमार्क डवलपर्स एल.एल.पी. जरिये अधिकृत साझेदार श्री रामचंदर यादव व आर्यन लैण्डमार्क डवलपर्स एल.एल.पी. पंजीकृत कार्यालय 2सी, स्वरूप कॉलोनी, डी.सी.एम. अजमेर रोड़, जयपुर-302019 जरिये अधिकृत साझेदार श्री रामचंदर यादव आयु 45 वर्ष पुत्र श्री हरसहाय यादव जाति अहीर निवासी यादव फार्म हाउस रामचन्द्रपुरा अजमेर रोड़, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

जयपुर विकास प्राधिकरण
उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक- जविप्रा/उपा./जोन-12/22/डी- 2219

दिनांक 05.08.2022

सहायक निदेशक (जनसम्पर्क),
जविप्रा, जयपुर।

विषय:-90ए की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण 90ए (सुओमोटो) की लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना संलग्न प्रारूप अनुसार लोक सूचना व सार्वजनिक सूचना 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन कराया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र में प्रति अद्योहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

190 (R) 137 1237
28/8/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-क(8) के अन्तर्गत

संख्या डी-2219

दिनांक 05-08-2022

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31 दिसम्बर 2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की योजना गोपी विहार के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।


अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं सपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	स्वामित्व
ग्राम धानक्या, तहसील जयपुर।	521 523 526	0.2150 0.5691 0.2023	रूपसिंह पुत्र खोंगसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत सा. देह खातेदार।
कुल किता	3	0.9864	

नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.17 (1) नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 01.07.2022 के बिन्दु संख्या 1 से 6 एवं नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.17 (1) नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 14.07.2022 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस में कमरा न. 312, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जयपुर स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 05-08-2022 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।


प्राधिकृत अधिकारी
जोन-12



यू.ओ.नोट

विषय:- सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि लोक सूचना संख्या क्रमांक 2151 दिनांक 02.08.2020 की प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। अतः 2 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने का श्रम करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।


उपायुक्त जोन-08
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-08/2022/डी- 2199
दिनांक :- 8/8/22

PR-0 (A) 136/236
8/8/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-08/2022/डी-251

दिनांक 21/8/2022

प्रारूप 13

(नियम 13(2)देखिए)

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत

लोक सूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क (8) के अन्तर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व/पश्चात की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है/किया गया है। अतः उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारीसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके सहमति/असहमति में या आपके द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तान्तरण होने के कारण लुनियावास गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना अनिता कॉलोनी-डी के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है। उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चात्पूर्ति हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90-क (8) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क (8) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63(II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व
ग्राम जैतपुरा उर्फ हाज्यावाला तहसील सांगानेर	138/3	0.48 है०	श्री नानग राम पुत्र गंगाराम जाति माली सा. देह
	116, 133, 135/1, 138/2	2.23 है०	श्री चौथू पुत्र गंगाराम जाति माली सा.देह
	136, 142, 144	2.53 है० में से 0.76 है०	श्री कैलाश, गणेश, दुर्गालाल, श्री नारायण पुत्रान ननछा जाति माली सा.देह
	कुल रकबा	3.47 है०	

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-08/2022/डी-2192

दिनांक 5/8/2022

-:आम सूचना:-

शिव भौमिया कॉलोनी विकास समिति जयपुर द्वारा भांकरोटा गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना "भौमिया कॉलोनी" का आवंटन/नियमन कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राम-सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला-जयपुर के अग्रलिखित खसरा नम्बरों के सम्पूर्ण/आंशिक भाग पर सृजित है।

क्र.सं.	ग्राम/तहसील	खसरा नं.	रकबा	वर्तमान खातेदार का नाम
1.	सांगानेर/सांगानेर	407	0.52	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
		408	1.32 है० में से 0.32 है०	
	कुल	4	0.84 हैक्टेयर	

विकास समिति द्वारा प्रस्तुत सूची अनुसार उक्त योजना में भूखण्डधारियों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	नाम सदस्य मय पिता/पति	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.)
1.	श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी श्री कमलेश शर्मा	01	138.88
2.	श्री प्रकाश चन्द शर्मा पुत्र श्री कल्याण मल शर्मा	02	141.66
3.	श्रीमती धापू देवी पत्नी श्री रमेश चन्द शर्मा	03	138.88
4.	श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी श्री श्योजीराम सैनी	04	145.00
5.	श्रीमती साक्षी देवी पत्नी श्री कन्हैयालाल शर्मा	4ए	73.00
6.	श्री रामनारायण पुत्र स्व० श्री किशनलाल नागर	05	138.88
7.	श्रीमती प्रेम देवी पत्नी श्री रोडूराम खारोल	06	140.27
8.	श्री दिनेश कुमार गोस्वामी पुत्र श्री रामदेवपुरी गोस्वामी	07	138.88
9.	श्रीमती कुसुम पत्नी श्री टीटू सैन	08	138.88
10.	श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री विशम्भर दयाल ओमप्रकाश	09	138.88
11.	श्रीमती लाली कंवर पत्नी श्री नारायण सिंह राजपूत	10	138.88
12.	श्री भूरालाल, गोपाल, कैलाश पुत्र श्री लक्ष्मण जी	11	138.88
13.	श्री सूरज, अर्जुन पुत्र प्रभुदयाल सैनी	12	138.88
14.	श्री कैलाश चन्द पुत्र श्री राधाकिशन सैनी	13	111.11
15.	श्री लड्डूलाल पुत्र श्री शिववल्भव सैनी	13ए	118.11
16.	श्री सत्यनारायण पुत्र श्री गोकुल चन्द जांगिड	14	119.00
17.	श्री सुरजान पुत्र श्री रामकरण सैनी	15	119.00
18.	श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री रूपचन्द योगी	16	119.00
19.	श्री सोहनलाल पुत्र श्री जमना सैनी	17	117.83
20.	श्रीमती भम्मी देवी पत्नी श्री जगदीश यादव	18	116.66
21.		19	115.50
22.	श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री कालूराम प्रजापत	20	114.33
23.	श्री राजकुमार पुत्र श्री रघुवर दयाल छीपा	21	113.16
24.	श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नी श्री ताराचन्द जांगिड	22	112.00
25.	श्री मूलाराम पुत्र श्री रामनाथ रैगर	23	112.00
26.	श्री बत्तीलाल, राजेन्द्र, रामावतार, सुरेश पुत्र श्री रामकरण सैनी	24	244.44
27.	श्री बाबूलाल पुत्र श्री हीरालाल जांगिड	25	183.33
28.	श्री गजानन्द सैनी पुत्र श्री नारायण सैनी	26	189.44
29.	श्री रामलाल सैनी पुत्र श्री घासीराम सैनी	27	183.33
30.	श्री गोपाललाल पुत्र स्व० श्री सीताराम सैनी	28	183.33
31.	श्रीमती नवीन मीणा पुत्र श्री बाबूलाल मीणा	29	183.33
32.	श्री मदनलाल पुत्र श्री बिरदी चन्द सैनी	30	183.33

PROC RJBS 1235
5/8/22

33.	श्री महेश कुमार ब्रह्मभट्ट पुत्र श्री हरीश चन्द्र ब्रह्मभट्ट	31	122.22
34.	श्री सुरेश चन्द्र ब्रह्मभट्ट पुत्र श्री हरीश चन्द्र ब्रह्मभट्ट	31ए	122.22
35.	श्री दीनदयाल ब्रह्मभट्ट पुत्र श्री हरीश चन्द्र ब्रह्मभट्ट	32	122.22
36.	श्रीमती जानकी देवी पत्नी श्री कन्हैयालाल सैनी	33	183.33
37.	श्री के. करोडीलाल पुत्र श्री गंगाधर गुर्जर	34	241.66
38.	श्री सूरज पुत्र श्री बट्टीप्रसाद	35	101.33
39.	श्री रामप्रकाश पुत्र श्री जयनारायण बैरवा	36	100.33
40.	श्रीमती शारदा पत्नी श्री गणेश सैनी	37	186.33
41.		38	100.00
42.	श्री हरिराम सैनी पुत्र श्री कन्हैयालाल सैनी	38ए	100.00
43.	श्री श्रवणलाल पुत्र श्री नन्दराम सैनी	39	100.00
44.	श्रीमती पूनम देवी पत्नी श्री अशोक कुमार सैनी	39ए	50.00
45.	श्री लोकेश सैनी पुत्र श्री गोवर्धनलाल सैनी	39बी	50.00
46.	श्री रामसहाय सैनी पुत्र श्री रतनलाल सैनी	40	250.00
47.	श्री लल्लुराम पुत्र श्री गोपीराम सैनी	41	200.00
48.	श्रीमती द्रोपदी देवी पत्नी श्री रमेश जागिड	42	200.00
49.	श्री छोटूराम पुत्र श्री गोविन्दराम रैगर	43	200.00
50.	श्रीमती सुन्दर देवी पत्नी श्री छोटूराम रैगर	44	200.00
51.	श्री रतनलाल पुत्र श्री गोदूराम रैगर	45	200.00
52.		46	100.00
53.	श्री गिर्राज सैनी पुत्र श्री चन्दालाल सैनी	46ए	100.00
54.	श्री हंसराज पुत्र श्री रामकरण खारोल	47	100.00
55.	श्रीमती दुर्गा देवी पत्नी श्री जगदीश बैरवा	48	133.33
56.	श्रीमती मुन्ना देवी पत्नी श्री गोपाल सैनी	48ए	133.33

उक्त योजना "भौमिया कॉलोनी" ग्राम-सांगानेर का आवंटन/नियमन शिविर माह अगस्त 2022 में लगाया जाना प्रस्तावित है।

अतः योजना क्षेत्र के उक्त विवरण से अगर किसी खातेदार/हितधारक/भूखण्डधारी/व्यक्ति/संस्था व अन्य किसी को आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन पश्चात् 7 (सात) दिवस में कार्यालय जोन-8 में अपनी आपत्ति मय दस्तावेजों, गवाह साक्ष्य आदि एवं आपत्ति के समर्थन में स्वयं की पहचान के प्रमाण सहित प्रस्तुत करे अन्यथा उक्त खसरा नम्बर में स्थित भूमि में विकसित योजना की उक्त सूची के आधार पर नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/आवंटन/ नियमन की कार्यवाही कर दी जायेगी। योजना मानचित्र एवं सदस्यता सूची जविप्रा की वेबसाईट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।


उपायुक्त जोन-8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त आयुक्त, (प्रशासन/पूर्व) जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का प्रकाशन दैनिक भास्कर अथवा राजस्थान पत्रिका के साथ एक अन्य दैनिक समाचार पत्र में कराने का श्रम करें।


उपायुक्त जोन-8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (8310) : फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

—आम सूचना—

शिव भौमिया कॉलोनी विकास समिति जयपुर द्वारा मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति लि.-ए की योजना 'भौमिया कॉलोनी' का आवंटन/नियमन कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राम-सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला-जयपुर के अग्रलिखित खसरा नम्बरों के सम्पूर्ण/आंशिक भाग पर सृजित है।

क्र.सं.	ग्राम/तहसील	खसरा नं.	रकबा	वर्तमान खातेदार का नाम
1.	सांगानेर/सांगानेर	408	1.32 है० में से 1.00 है०	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
		409	0.40	
		410	0.06	
		412/1	0.7350	
कुल		4	2.1950 हैक्टेयर	


विकास समिति द्वारा प्रस्तुत सूची अनुसार उक्त योजना में भूखण्डधारियों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	नाम सदस्य मय पिता/पति	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.)
1.	श्री कैलाश अग्रवाल पुत्र श्री ग्यारसी लाल	1	107
2.	श्री हनुमान सहाय यादव पुत्र श्री शिवराम यादव	2	75
3.	श्री सूरज यादव पुत्र श्री जगदीश	2ए	75
4.	श्री प्रभाती लाल सैनी पुत्र छोदूराम सैनी	3	103
5.	श्री ब्रह्मानंद पुत्र श्री रामस्वरूप शर्मा	4	104.44
6.	श्रीमती सुजाता पत्नी ताराचंद यादव	5	135
7.	श्री धर्मचंद जैन पुत्र श्री रामपाल जैन	6	41.66
8.	श्रीमती निर्मला देवी पत्नी श्री भागचंद जैन	6ए	41.66
9.	श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री चिरंजी लाल	6बी	41.66
10.		7	110.00
11.	श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री राजेन्द्र बैरवा	8	103.00
12.	श्री सूरजमल रैगर पुत्र श्री आखाराम रैगर	9	56.25
13.	श्री रामलाल खारोल पुत्र श्री घीसा लाल	9-ए	68.75
14.	श्रीमती अनोखी देवी पत्नी श्री जमना लाल	10	62.50
15.	श्री शंकर लाल खारोल पुत्र श्री गोपी	10	62.50
16.		ए	
17.	श्री जगदीश पुत्र श्री रामचन्द्र सैनी	11	116.00
18.	श्री रामप्रसाद सैनी पुत्र श्री रामदेव सैनी	12	125.00
19.	श्री सुरेश सैनी पुत्र श्री रामदेव सैनी	12	125.00
20.		ए	
21.	श्रीमती रामपती बैरवा पत्नी श्री प्रेमचंद	13	83.33
22.		ए	
23.	श्रीमती सोहनी देवी पत्नी श्री गोपाल लाल	13-बी	83.33
24.	श्री प्रभूदयाल पुत्र श्री गौरी लाल	14	50.00
25.	श्रीमती ममता पत्नी शंकर लाल	14	50.00
26.		ए	
27.	श्रीमती बबीता देवी पत्नी श्री संतोष छीपा	14-बी	50.00
28.	श्रीमती कैलाशी देवी पत्नी श्री रामधन कुमार	15	100.00
29.	श्री उगाराम गुर्जर पुत्र श्री झुमर राम	16	100.00
30.	श्री गोविन्द सिंह पुत्र श्री प्रभू सिंह	17	125.00
31.	श्री जगदीश सैनी पुत्र कानाराम सैनी	18	125.00
32.		19	125.00
33.			
34.	श्री चन्दन सैनी पुत्र श्री सत्यनारायण सैनी	20	137.00
35.	श्री ब्रह्मापुरी पुत्र श्री सुजापुरी गोस्वामी	21	138.00
36.	श्रीमती रतन देवी पत्नी श्री राजाराम	22	100.00
37.	श्री सुधान्शु गोस्वामी पुत्र श्री मधुसुदन	23	150.00
38.	श्री गदन लाल खारोल पुत्र श्री रामाजी	24	150.00
39.	श्री गोपाल लाल माली पुत्र श्री गणेश माली	25	300.00
40.	श्री छीतर माली पुत्र गणेश माली	26	200.00

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : (8310): फैक्स - +91-141-2574555

PRO(18)134 1234
818122



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

41.	श्री रामसुख सैनी पुत्र सुजाराम सैनी	27	200.00
42.	श्री नानूराम खारोल पुत्र बिसमा जी	28	200.00
43.	श्री अमरचंद बुनकर पुत्र श्री बद्दीनारायण	29	200.00
44.	श्री अमरचंद बुनकर पुत्र श्री बद्दीनारायण	30	200.00
45.	श्रीमती प्रभाती देवी पत्नी श्री सुन्दर लाल	31	100.00
46.	श्री हनुमान पुत्र बजरंगी माली	32	105.00
47.	श्री कैलाश पुत्र भंवर लाल माली	33	150.00
48.	श्रीमती गीता देवी पत्नी कानाराम	30	100.00
49.		ए	
50.	श्रीमती मंजू देवी पत्नी रामचन्द्र	30-बी	100.00
51.	श्रीमती प्रेम देवी पत्नी बाबूलाल सैनी	33	146.56
52.		ए	
53.	श्री रमेश सैनी पुत्र बाबूलाल सैनी	34	251.25
54.	श्री बाबूलाल सैनी पुत्र गुल्लाराम सैनी	34	200.00
55.		ए	
56.	श्री रमेश चंद सैनी पुत्र श्री बाबूलाल सैनी	35	250.00
57.	श्री रामचंद्र साई पुत्र श्री मूला राम	36	215.55
58.	श्री हनुमान सैनी पुत्र घासी लाल सैनी	37	200.00
59.	श्री राधेश्याम जांगीड पुत्र श्री कृष्ण गोपाल	38	165.00
60.	श्री कैलाश सिंह पुत्र हाकिम सिंह	39	152.77
61.	श्रीमती प्रभाती देवी पत्नी श्योजी राम	40	152.77
62.	श्रीमती भंवर कंवर पत्नी श्री छीतर सिंह	41	152.77
63.	श्रीमती तीजा देवी पत्नी मदनलाल	42	150.00
64.	श्री रामसहाय सैनी पुत्र गोपीलाल	43	150.00
65.	श्री ग्यारसी लाल पुत्र छोटूराम सैनी	44	112.67
66.	श्रीमती सीतादेवी पत्नी श्री दूलीचंद बलाई	45	100.00
67.	श्री महावीर जांगीड पुत्र श्री रामनिवास जांगीड	46	80.00
68.	श्री रामअवतार जांगीड पुत्र श्री रामकरण	47	51.38
69.	श्री लड्डू लाल सैनी पुत्र श्री राम लाल सैनी	48	33.30
70.		ए	
71.	श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर	48-बी	33.03
72.	श्री कालूराम पुत्र श्री रूघालाल	1,2	31.6
73.	श्री भौरपाल बैरवा पुत्र नारायण लाल	3,4	37.00

उक्त योजना "भूमिया कॉलोनी" ग्राम-सांगानेर का आवंटन/नियमन शिविर माह अगस्त 2022 में लगाया जाना प्रस्तावित है।

अतः योजना क्षेत्र के उक्त विवरण से अगर किसी खातेदार/हितधारक/भूखण्डधारी/व्यक्ति/संस्था व अन्य किसी को आपत्ति हो तो, विज्ञापित प्रकाशन पश्चात् 7 (सात) दिवस में कार्यालय जोन-8 में अपनी आपत्ति मय दस्तावेजों, गवाह साक्ष्य आदि एवं आपत्ति के समर्थन में स्वयं की पहचान के प्रमाण सहित प्रस्तुत करे अन्यथा उक्त खसरा नम्बर में स्थित भूमि में विकसित योजना की उक्त सूची के आधार पर नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/आवंटन/ नियमन की कार्यवाही कर दी जायेगी। योजना मानचित्र एवं सदस्यता सूची जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।


उपायुक्त जोन-8,
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त आयुक्त, (प्रशासन/पूर्व) जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का प्रकाशन दैनिक भास्कर अथवा राजस्थान पत्रिका के साथ एक अन्य दैनिक समाचार पत्र में कराने का श्रम करें।

0-2191 दि 05/8/2022


उपायुक्त जोन-8,
जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

-:आम सूचना:-

शिव भौमिया कॉलोनी विकास समिति जयपुर द्वारा मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की योजना "भौमिया कॉलोनी" का आवंटन/नियमन कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो ग्राम-सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला-जयपुर के अग्रलिखित खसरा नम्बरों के सम्पूर्ण/आंशिक भाग पर सृजित है।

क्र.सं.	ग्राम/तहसील	खसरा नं.	रकबा	वर्तमान खातेदार का नाम
1.	सांगानेर/सांगानेर	408 409 410 412/1	1.32 है० में से 1.00 है० 0.40 0.06 0.7350	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
	कुल	4	2.1950 हैक्टेयर	

विकास समिति द्वारा प्रस्तुत सूची अनुसार उक्त योजना में भूखण्डधारियों का विवरण निम्नानुसार है।

क्र.सं.	नाम सदस्य मय पिता/पति	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.ग.)
1.	श्री रमेश चन्द सैनी पुत्र श्री बाबूलाल सैनी	01	250.00
2.	श्री अमरचन्द खटीक पुत्र श्री सौनारायण	02	200.00
3.	श्रीमती अनोखी देवी पुत्री सायर खटीक	2ए	200.00
4.	श्रीमती अनोखी देवी पत्नी सायरमल	03	44.00
5.	श्रीमती यशोदा देवी पत्नी श्री छोटूराम खटीक	3ए	80.00
6.		3बी	106.00
7.	श्री लालचन्द पुत्र श्री सुआलाल तंवर	4	125.00
8.	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री रामसहाय चौधरी	5	128.00
9.	श्री कैलाश मेहरा पुत्र श्री मोतीलाल मेहरा	6	120.00
10.	श्री कुशलपाल पुत्र श्री लाखन सिंह	7	60.00
11.	श्री कमलेश खटीक पुत्र श्री प्रभात खटीक	7ए	60.00
12.	श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री रोशन जी	08	120.00
13.	श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री खुमान सिंह	09	120.00
14.	श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री रामजीलाल खटीक	10	120.00
15.	श्री बाबूलाल नारायणियां पुत्र श्री चन्द्रा नारायणियां	11	
16.	श्री कैदारलाल परैवा पुत्र श्री चौधूराम परैवा	12	120.00
17.	श्रीमती मीना देवी पत्नि श्री कमल सैनी	13	120.00
18.	श्री मोहम्मद निजाम पुत्र श्री अल्लाउद्दीन	14	120.00
19.	श्रीमती कान्ता देवी पत्नि श्री अशोक खटीक	15	120.00
20.	श्री गोवर्धन खटीक पुत्र श्री भोमाराम खटीक	16	120.00
21.	श्री गोवर्धन खटीक पुत्र श्री भोमाराम खटीक	17	120.00
22.	श्री गिराज प्रसाद खटीक पुत्र श्री भोमाराम खटीक	18	120.00
23.	श्री गिराज प्रसाद खटीक पुत्र श्री भोमाराम खटीक	19	60.00
24.	श्रीमती कल्पना नारायणियां पुत्री श्री गिराज प्रसाद	19-ए	60.00
25.	श्रीमती मीरा देवी पत्नि श्री पप्पूलाल खटीक	20	60.00
26.	श्री शंकर लाल खटीक पुत्र श्री जगन्नाथ खटीक	20-ए	60.00
27.	श्री मांगी लाल छीपा पुत्र श्री रघुनाथ छीपा	21	104.00
28.	श्री रमेश चन्द पुत्र श्री बाबूराम खटीक	22	63.80
29.	श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री बलदेव	23	186.00
30.	श्रीमती अशोक देवी पत्नि श्री रमेश चन्द खटीक	24	150.00
31.	श्रीमती अशोक देवी पत्नि श्री रमेश चन्द खटीक	25	150.00
32.	श्री भरत सिंह पुत्र भूपसिंह	26	75.00
33.	श्रीमती शालू जांगिड़ पत्नि श्री बाबू लाल जांगिड़	26-ए	75.00
34.	श्री सूरज नारायणियां पुत्र श्री बाबूलाल नारायणियां	27	150.00
35.	श्रीमती सुगना परेवा पत्नि श्री अशोक परेवा	28	150.00
36.	श्रीमती सुगना परेवा पत्नि श्री अशोक परेवा	29	150.00

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8310} : फैक्स - +91-141-2574555

P R O (P) 1233
1233
1233




जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

37.		30	
38.	श्री अमरचन्द पुत्र श्री छाछूराम खीची	31	150.00
39.	श्रीमती गीता देवी पुत्री श्री सतीश सैनी	32	150.00
40.	श्री शैतान सिंह पुत्र श्री खुमान सिंह	33	150.00
41.		34	100.00
42.	श्रीमती प्रेम देवी खटीक पुत्री श्री जगदीश लाल	35	150.00
43.	श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री देवी लाल गुर्जर	36	150.00
44.	श्री रामकरन पुत्र हरदेव	37	150.00
45.	श्री हरिशंकर सैनी पुत्र श्री कालूराम सैनी	38	150.00
46.	श्री प्रभू दयाल मेहरा पुत्र श्री हीरालाल	39	150.00
47.	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री मदन	40	116.66
48.	श्री भगवन्त कुमार पुत्र श्री गोपालराम	41	175.00
49.	श्रीमती बादाम देवी पत्नि श्री कैलाश चन्द	42	152.77
50.	श्री हुकम चन्द पुत्र श्री बालचन्द	43	150.00
51.	श्री मोहनलाल खटीक पुत्र श्री भूराराम खटीक	44	150.00
52.	श्रीमती चन्दा देवी पत्नि श्री देवी सहाय	45	112.67
53.	श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री कैलाश चन्द जाजोरिया	46	100.00
54.	श्रीमती इन्द्रा देवी पत्नि श्री कालूराम सांसी	47	150.00
55.	श्रीमती डिम्पल शर्मा पत्नि श्री बुद्धिप्रकाश शर्मा	48	150.00
56.	श्रीमती अनीता शर्मा पत्नि श्री मदन लाल शर्मा	49	175.00
57.	कल्याण विहार	50	
58.		51	
59.		52	
60.	कल्याण विहार	53	
61.		54	
62.		55	
63.	श्रीमती सजना देवी पत्नि श्री घुड़ाराम गीणा	56	200.00
64.	श्री घुड़ाराम गीणा पुत्र श्री माला राम	57	200.00
65.	श्री नंद किशोर पुत्र श्री भूराराम	58	200.00
66.	श्री जगदीश पुत्र श्री गोपाल जी	59	125.33
67.	श्रीमती हनुमानी देवी पत्नि श्री मन्ना माली	59-ए	66.00
68.	श्रीमती मोती देवी पत्नि श्री लादूराम सैनी	59-बी	
69.	श्री रमेश चन्द पुत्र श्रीलाल	60	100.00
70.	श्रीमती देवकी पत्नि श्री रमेश चन्द	60-ए	63.33
71.	श्रीमती बीना पत्नि श्री अनिल सिंह	60-बी	106.00
72.	राम नारायण पुत्र श्री भूराराम	61	206.00
73.	श्रीमती कमला देवी पत्नि श्री मन्नालाल चन्देल	62	200.00
74.	श्री झम्मन लाल सैनी पुत्र श्री छोटूराम	63	200.00
75.		63	
76.	श्री नन्दकिशोर खटीक पुत्र श्री भूराराम खटीक	64	206.00
77.	श्री सत्यनारायण पुत्र श्री पोखरमल	65	206.00
78.	श्रीमती सीता देवी पत्नि श्री रामअवतार कुशवाह	66-बी	100.00
79.	श्री लालाराम माली पुत्र श्री राधाकिशन	66-ए	100.00
80.	श्रीमती लक्ष्मा देवी पत्नि श्री रमेशचन्द	67	150.00
81.	श्री किशन लाल पुत्र श्री जगन्नाथ माली	68	103.00
82.	श्री कैलाश प्रजापत पुत्र श्री देवलाल प्रजापत	68-ए	103.00
83.	श्रीमती संतोष देवी पत्नि श्री किशन सैनी	68-बी	162.00
84.	श्रीमती संपत देवी पत्नि श्री राजकुमार सैनी	69	105.89
85.	श्री राजकुमार सैन पुत्र श्री कल्याण सहाय सैनी	69-ए	100.87
86.	श्री रामजीलाल सैनी पुत्र श्री कल्याण सहाय सैनी	69-बी	100.88
87.	श्री विनोद कुमार पुत्र श्री छुब्बा लाल	69-सी	30.00

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन : {8310} : फैक्स - +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

88.	श्रीमती पिकी देवी पत्नि श्री दिनेश वर्मा	70	77.00
89.	श्री कमल कुमार पुत्र श्री शिवराम सैनी	70-ए	195.00
90.	श्री बाबूलाल पुत्र श्री गुल्ल माली	70-बी	
91.	श्री श्योजीराम पुत्र गंजानन्द सैनी	71	200.00
92.	श्री सत्यनारायण पुत्र श्री कजोड़	72	100.00
93.	श्री रामप्रताप पुत्र श्री मिथूलाल कराड़िया	73	100.00

उक्त योजना "भौमिया कॉलोनी" ग्राम-सांगानेर का आवंटन/निमयन शिविर माह अगस्त 2022 में लगाया जाना प्रस्तावित है।

अतः योजना क्षेत्र के उक्त विवरण से अगर किसी खातेदार/हितधारक/भूखण्डधारी/व्यक्ति/संस्था व अन्य किसी को आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन पश्चात् 7 (सात) दिवस में कार्यालय जोन-8 में अपनी आपत्ति मय दस्तावेजों, गवाह साक्ष्य आदि एवं आपत्ति के समर्थन में स्वयं की पहचान के प्रमाण सहित प्रस्तुत करे अन्यथा उक्त खसरा नम्बर में स्थित भूमि में विकसित योजना की उक्त सूची के आधार पर नाम हस्तान्तरण/प्रतिस्थापन/आवंटन/ निमयन की कार्यवाही कर दी जायेगी। योजना मानचित्र एवं सदस्यता सूची जविप्रा की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।


उपायुक्त जोन-8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. अतिरिक्त आयुक्त, (प्रशासन/पूर्व) जविप्रा, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का प्रकाशन दैनिक भास्कर अथवा राजस्थान पत्रिका के साथ एक अन्य दैनिक समाचार पत्र में कराने का श्रम करें।

0-2189

दिनांक 5/8/2022


उपायुक्त जोन-8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

यूओनोट

विषय:-सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि लोक सूचना संख्या क्रमांक 2150

दिनांक 02.08.2022 की प्रति
संलग्न कर भिजवाई जा रही है। अतः 2 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने का
श्रम करावें।

संलग्न उपरोक्तानुसार

उपायुक्त जोन-08
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी,
जविप्रा, जयपुर

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-08/2022/डी-2152
दिनांक :- 2/8/22

P R O (R) 1232
8/8/22

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-08/2022/डी-2150

दिनांक 2/8/2022

प्रारूप 13

(नियम 13(2)देखिए)

प्रशासन शहरों के संग अभियान-2021 के अन्तर्गत

लोक सूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क (8) के अन्तर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व/पश्चात की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है/किया गया है। अतः उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारीसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके सहमति/असहमति में या आपके द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तान्तरण होने के कारण मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना शिव कॉलोनी 7 एवं लुनियावास गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना कल्याण कुंज शिव कॉलोनी के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है। उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ति हस्तान्तरणों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90-क (8) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क (8) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63(II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टेयर)	स्वामित्व
ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर	407, 417, 418, 419, 420	0.90 है0	गणेशनारायण, भगवान सहाय, रामदास, रामनारायण पि0 नानगा जाति माली सा.देह

उपा. जोन - 8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या... 4955...

दिनांक... 04.8.2022

प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नही निम्नांकित खातेदारो की खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपठित धारा 90ए(5) एवं सपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

क्र. सं.	ग्राम का नाम मय तहसील	सहकारी समिति का नाम	योजना का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टे. मे)	खातेदार का नाम
1.	खोखावास तह. सांगानेर	जल महल गृ.नि.स.स.	विवेक नगर (सुन्दरम कॉलोनी)	349 358 359 360 361 362 378	0.02 0.44 0.17 0.22 0.19 0.23 0.05 कुल रकबा 1.32 हेक्टेयर	ना. कमलेश पुत्री स्व. श्री रामसहाय संरक्षक माता मुन्नी देवी हि. 1/48, कमलेश पुत्री स्व. श्री महादेव हि. 1/24, ना. कल्याण पुत्र बिरदा संरक्षक सरपरस्त संरक्षिका भौरी हि. 1/8, ना. गुल्ला पुत्र बिरधा संरक्षक सरपरस्त संरक्षिका भौरी हि. 1/8, जमना देवी पत्नी स्व. महादेव हि. 1/24, नारायण पुत्र महादेव हि. 1/24, ना. बाबु पुत्रे बिरधा संरक्षक सरपरस्त संरक्षिका भौरी हि. 1/8, मंगला राम पुत्र श्रीया हि. 1/6, मन्नी देवी पत्नी स्व. रामसहाय हि. 1/48, मोतीराम पुत्र महादेव हि. 1/24, रूपनारायण पुत्र स्व. रामसहाय हि. 1/48, राजेश पुत्र स्व. रामसहाय हि. 1/48, रामचन्द्र पुत्र श्योनारायण हि. 1/6, ना. सन्ती पुत्री स्व. रामसहाय संरक्षक सरपरस्त माता मन्नीदेवी हि. 1/48, सुरेश पुत्र स्व. रामसहाय हि. 1/48 जाति मीना सा. देह खातेदार।

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 मे उल्लेखित कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों मे स्वप्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90-ए (8) की कार्यवाही करने का प्रावधान है। 17.06.1999 के पश्चात की कॉलोनियों मे धारा 91 सहपठित धारा 90ए (5) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90क एवं तदधीन बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा आवंटन) नियमन 2012 के नियम 4 मे किये गये संशोधन के अन्तर्गत भूखण्डधारी/विकास समिति के प्रार्थना पत्र अथवा निकाय के संदर्भित से स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने का अधिकार होने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस मे कमरा न. 306, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नही करने की दशा मे आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक... 04.8.2022... को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

19
उपस्थित अधिकारी
जयपुर, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या 4953

दिनांक 04.8.2021

प्रशासन शहरो के संग अभियान 2021 के अन्तर्गत

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी मे यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्दारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग मे ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार मे पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं निम्नांकित खातेदारो की खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं सपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष मे पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

क्र.सं.	ग्राम का नाम मय तहसील	सहकारी समिति का नाम	योजना का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टे. मे)	खातेदार का नाम
1.	जगतपुरा तह. सांगानेर	जल महल गृ. नि.स.स.	जगन विहार	367 371 374	0.17 0.06 0.25 कुल रकबा 0.48	तोफल्या पुत्र गोपी हि. 1/3, बद्री पुत्र हरदेव हि. 1/3, रामलाल पुत्र मन्नालाल हि. 1/3 जाति भीणा, सा. देह खातेदार।

नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 मे उल्लेखित कृषि भूमि पर 17.06.1999 से पूर्व की कॉलोनियों मे स्वप्रेरणा से अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संदर्भित करने पर धारा 90-ए (8) की कार्यवाही करने का प्रावधान है। 17.06.1999 के पश्चात की कॉलोनियों मे धारा 91 सहपटित धारा 90ए (5) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90क एवं तद्धीन बनाये गये राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि को गैर कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग की अनुज्ञा आवंटन) नियमन 2012 के नियम 4 मे किये गये संशोधन के अन्तर्गत भूखण्डधारी/विकास समिति के प्रार्थना पत्र अथवा निकाय के संदर्भित से स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने का अधिकार होने से इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि मे हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस मे कमरा न. 306, पार्किंग भवन, तृतीय तल, जविप्रा स्थित न्यायालय मे कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय मे आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा मे आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 04.8.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

na
अभिधृति अधिकारी
जयपुर